

15/12/25

विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त रमेश चन्द्र अनुपस्थित जिनकी आज की हाजरी माफी जरिये अधिवक्ता पेश हुई जो आज के लिए स्वीकार की जाती है। गवाह कोई उपस्थित नहीं। गवाह संख्या 18 हुकमसिंह का बीडब्ल्यू बाद तामील प्राप्त हुआ है। गवाह संख्या 18 हुकमसिंह को एडब्ल्यू से तलब किया जावें। शेष सभी गवाहों की तामील अदम तामील प्राप्त हुई है। पुन शेष सभी गवाहान को गतादेशानुसार तलब किया जावें। वारण्ट पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावें कि प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रकरणों में क्रम संख्या 13 पर है। गवाह की तामील डी.ओ लेटर के साथ संबंधित एसपी व संबंधित थानाधिकारी को भेजकर लिखा जावें कि तामील आवश्यक रूप से करवाई जावें। अदम तामील की सुरत में हर हाल में तामील कुनिन्दा तथा संबंधित थानाधिकारी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण पेश करें। तामील की एक प्रति अपर लोक अभियोजक को दस्ती दी जाकर लिखा जावें की गवाह को बार-बार तलब किया जा रहा है। गवाह उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः विशिष्ट लोक अभियोजक अपने स्तर पर गवाह को उपस्थित रखें। पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 23-12-25 को पेश हो। 23

विशिष्ट न्यायाधीश

न्यायालय

इम.डी.पी.एच. एचट कैम्पेज

बिलाड़ा, जोधपुर जिला

23 12  
25

विशिष्ट लोक अभि० उप०। मुल० अनु०। गवाह अनु०।  
श्रीमान पी.ओ. साहब आज अवकाश पर हैं वास्ते  
उचित आदेश हेतु दि० 5-1-26 को पेश हो। सी

5 1  
26

विशिष्ट लोक अभि० उप०। मुल० अनु०। मुल० बी हा०  
मा० जरिये वकील पेश हुई जो बाद सुनवाची  
आज हेतु स्वीकार की गयी। शा० भी हो। गवाह  
उप० नहीं हैं गवाह बी तामील अदम माफी हैं

लगातार - -

... लगातार

गवाह पुनः गवादेशानुसार <sup>D.O. लेख</sup> तलब कर नोट लगाया जावे कि प्रकरण टारगेट प्रकरणों सुचि में 13 नं पर हैं अतः विशेष वाहक नियुक्त कर आवश्यक रूप से व्यक्तिगत तामील करावे अदम्य तामील की सुरत में तामील कु निन्द। रोजनामचे की रपट के साथ स्वयं उपर डावे तामील की एक प्रति विशिष्ट लोक कर्मि के दस्ती दी जाकर लिरवा जावे की गवाह को अपने स्तर पर पेश करे मिसलवात्ते साक्ष्य अभिषेद दि० 15-1-26 को पेश हो। तामील काज ही जारी हो।

विशिष्ट न्यायाधीश  
न्यायालय  
एन.डी.पी.एस. एक्ट कैंसेल  
बिलास, जीवपुर जिला